

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या
303/2016

रजू दिनांक
30.12.2016

निर्णय दिनांक
15.01.2018


अनुवान

1. सुरेश
2. हेमंत पुत्रान स्वर्गीय श्री हरफूल सिंह जाति जाटान निवासीयान ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

1. गुलाबसिंह पुत्र छाजूराम
2. मुन्नी देवी पत्नी रतनसिंह
3. बलवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
4. बागसिंह तथाकथित उर्फ सुभाषचंद
5. राजेन्द्रसिंह पुत्रान रामचन्द्र जातियान जाटान निवासीयान ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
6. प्रबंधक यू0को0 बैंक शाखा खैरथल
7. प्रबंधक पी0एन0बी0 बैंक शाखा खैरथल
8. उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर
9. सरकार जयें तहसीलदार तहसील मुण्डावर जिला अलवर
प्रतिवादीगण
10. कालू पुत्र रणबाज
11. सहूरी पत्नी सरदारा
12. करीम खां
13. शरीफ खां पुत्रान सरदारा जातियान मेव निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
14. रहीम खां
15. नूर मोहम्मद
16. दूनरा
17. दीना


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

18. सुभान
19. मगरा पुत्रान अंधू खां
20. नूरिया
21. सकूरी
22. मगरी पुत्रियान अंधू खां जातियान मेव निवासी नान्दनहेडी तहसील व
जिला अलवर
23. रहमत पुत्र बाजी
24. मंगल पुत्र जेन्डा
25. मवासी पुत्र सुगडा जातियान मेव निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर
जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण


दावा- घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :

1. रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता वादीगण
2. गंगाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 5 की ओर से।


वादीगण की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा0 5 की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.01.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष बरूवे राजीनामे निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के आराजी ख0न0 167/0.06 सम्पूर्ण एवं 169/1.19 है0 के हाल रिकार्ड पर अंकित प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह का नाम हजब किया जाकर 167/0.06 सम्पूर्ण एवं 169/1.19 है0 में से 0.69 है0 भूमि बय तरफ उत्तरी दिशा पूर्व पश्चिम लम्बी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित व ख0न0 169 के शेष रकबा 0.50 है0 भूमि बय तरफ दक्षिणी दिशा पूर्व पश्चिम लम्बी पर प्रतिवादीगण संख्या 4 बागसिंह को हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी संख्या 5 राजेन्द्र सिंह को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित, ख0न0 252/0.25, 253/0.20 के हाल रिकार्ड पर से प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह के नाम को हजब किया जाकर उक्त दोनो ख0नम्बरान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित, ख0न0 256/0.25 के रिकार्ड पर अंकित प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह के नाम को हजब किया जाकर उक्त ख0न0 में से 0.20 है0 भूमि बय तरफ पूर्वी


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

दिशा पर वादीगण को व शेष रकबा 0.05 है० भूमि वय तरफ पश्चिमी दिशा पर प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह को खातेदार काश्तकार काबिज घोषित, ख०न० 262/0.46 के 1/3 हिस्से के हाल रिकार्ड में वादीगण खातेदार है। वादीगण के उक्त 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से की हद तक वादीगण का नाम हजब कर 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 राजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर यानि उक्त ख०न० 262/0.46 में से 1/6 हिस्सा के वादीगण को व 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 5 राजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर तथा ख०न० 242/0.06, 243/0.08 के हाल रिकार्ड में से वादीगण का 10/11 हिस्सा हजब किया जाकर उक्त सम्पूर्ण 10/11 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 5 राजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार काबिज घोषित कर, ख०न० 225/0.33 के हाल रिकार्ड पर अंकित सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण हजब किया जाकर वादीगण की जगह प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह उर्फ सुभाष को खातेदार काश्तकार घोषित कर, ख०न० 247/1.01 में से पश्चिमी मेड के सहारे 0.25 है० भूमि की हद तक वादीगण का नाम हजब किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 बागसिंह उर्फ सुभाष को 0.25 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर एवं ख०न० 247 की शेष भूमि 0.76 है० का वादीगण को खातेदार काश्तकार काबिज घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण का पृथक से खाता कायम करने एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का पृथक से खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को उक्तानुसार प्राप्त होने वाले हिस्से, रकबे आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय होगी। मूल राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्तानुसार पृथक पृथक खातेजात कायम कर दर्ज रिकार्ड किये जाने अहकाम जारी हो।”
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मिश्रा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक मुण्डावर (अलवर)